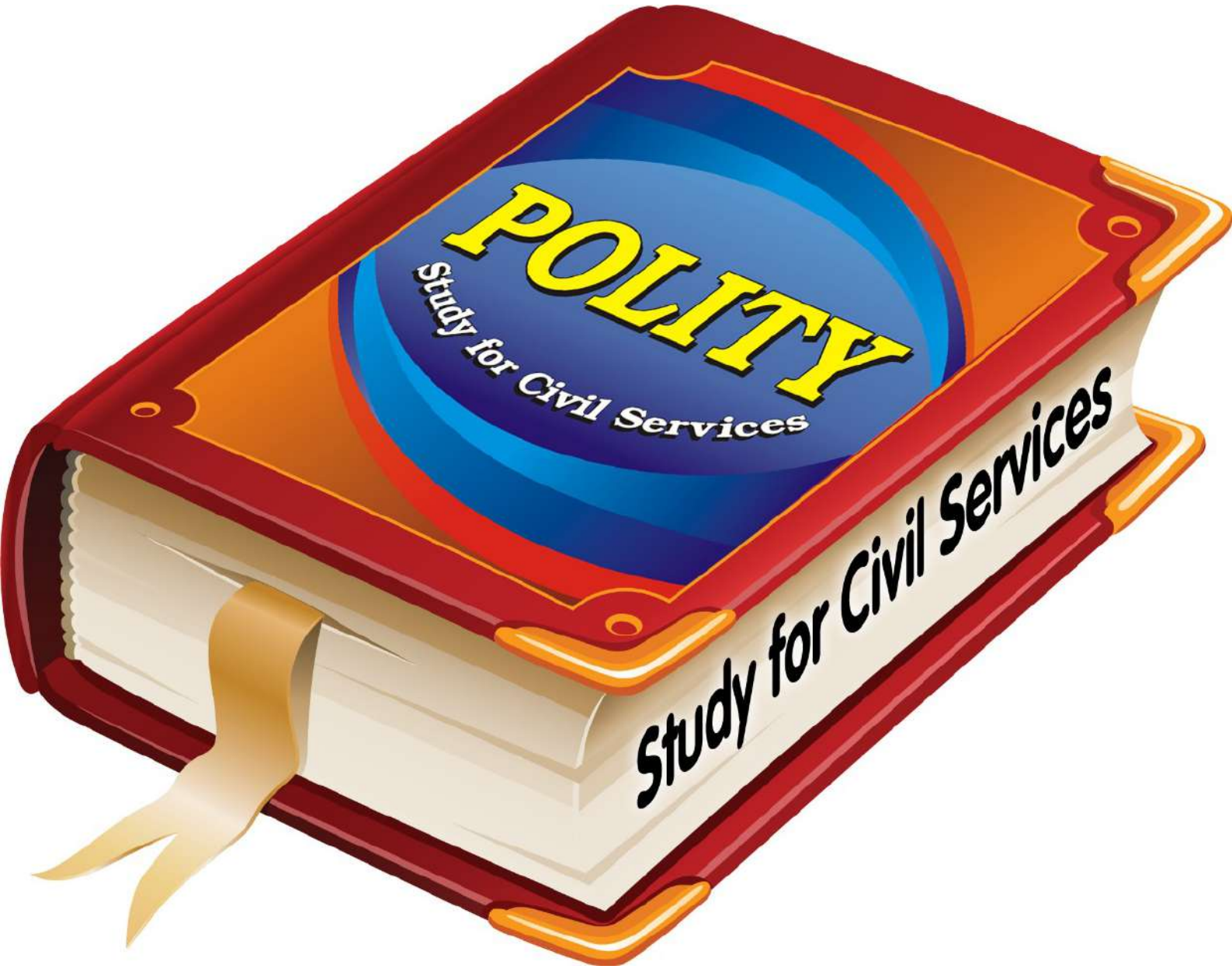

POLITY
Study for Civil Services
Study for Civil Services

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कम्पनी का शासन [1773 से 1858 तक]

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट | 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट | 1833 का चार्टर अ० | 1853 का चार्टर अ०

- भारत में ब्रिटिश 1600 ई में ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आये।
- महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हे भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे।

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल कहा।
- इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर 'बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये।
- इसके अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट आफ डायरेक्टर्स' के माध्यम से कम्पनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया।
- बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश 'एलिजा इम्पे थे।

Study For Civil Services

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस एक्ट को एक्ट ऑफ सैटलमेण्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- इसने कम्पनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यो को पृथक कर दिया।
- भारत में कम्पनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया।
- ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के कार्यो और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
- इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरो को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया।
- लार्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर थे।

Scanned by CamScanner

1853 का चार्टर अधिनियम

- 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गये चार्टर अधिनियम के शृंखला में अधिनियम अन्तिम था।
- इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यो को अलग कर दिया।
- इसने सिविल सेवको की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारम्भ कर दिया।
- इसने पहली बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया।

ताज का शासन [1858 से 1947 तक]

- 1858 का भारत शासन अधिनियम।
- 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम।
- भारत शासन अधिनियम, 1919
- भारत शासन अधिनियम, 1935
- भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

Study For Civil Services

1858 का भारत शासन अधिनियम

- भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को समाप्त कर दिया।
- इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया।
- गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया।
- लार्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बना।
- एक नये पद 'भारत के राज्य सचिव' का सृजन किया गया।

Scanned by CamScanner

◉ 1861 के भारत परिषद अधिनियम

- 1862 में लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों – बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।
- इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की।
- बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदो का गठन हुआ।

◉ 1892 का अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय परिषदो में गैर सरकारी सदस्यो की संख्या बढायी गई।
- इसने विधान परिषदो के कार्यो में वृद्दि कर उन्हे बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया।

◉ 1909 के अधिनियम

- इस अधिनियम को मार्ले मिण्टो सुधार के नाम से जाना जाता है।
- इसने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदो के आकार में काफी वृद्धि की परिषदो की संख्या 16 से 60 हो गयी।
- इसने दोनो स्तरो पर विधान परिषदो के चर्चा कार्यो का दायरा बढाया।
- सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। Study for civil Services
- इस आधनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुश्लिमो के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्राविधान किया।

◉ भारत शासन अधिनियम 1919

- इसमें प्रांतीय विषयो को पुनः दो विषयो में विभाजित किया – हस्तान्तरित और आरक्षित।
- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरम्भ की।
- इसके अनुसार कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यो में से 3 सदस्यो का भारतीय होना आवश्यक है।
- इससे लोक सेवा आयोग का गठन किया
- इसने पहली बार केन्द्रीय बजट राज्यो के बजट से अलग किया।
- इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया।

Scanned by CamScanner

भारत सरकार अधिनियम 1935

- इसमें 321 धारा व 10 अनुसूचियां थी।
- इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की।
- इस अधिनियम में केन्द्र एवं इकाइयों के बीच तीन सूचियों- संघीय सूची (59 विषय), राज्य सूची (54 विषय), और समवर्ती सूची (दोनो के लिए, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बटवारा किया
- इसने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया और प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया।
- इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारम्भ की।
- इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया।
- इसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।

Study for Civil Services

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया।
- इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया।
- इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया
- इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु की समाप्ति की घोषणा की।
- इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।

Scanned by CamScanner

◉ अंतरिम सरकार

- जवाहर लाल नेहरू — राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले।
- सरदार वल्लभभाई पटेल — गृह, सूचना एवं प्रसारण।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद — खाद्य एवं कृषि।
- जॉन मथाई — उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति।
- जगजीवन राम — श्रम।
- सरदार बलदेव सिंह — रक्षा।
- सी. एच. भाभा — कार्य, खान एवं उर्जा।
- लियाकत अली खां — वित्त।
- अब्दुर-रब-निश्तार — डाक एवं वायु।
- आसफ अली — रेलवे एवं परिवहन।
- सी. राजगोपालाचारी — शिक्षा एवं कला।
- आई. आई. चुंदरीगर — वाणिज्य।
- गजनफर अली खान — स्वास्थ्य।
- जोगेंद्र नाथ मंडल — विधि।

◉ स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)

- जवाहर लाल नेहरू — प्रधानमंत्री; राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामले; वैज्ञा. शोध
- सरदार वल्लभभाई पटेल — गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यो के मामले।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद — खाद्य एवं कृषि
- मौलाना अबुल कलाम आजाद — शिक्षा
- डॉ. जॉन मथाई — रेलवे एवं परिवहन
- आर. के. षणमुगम शेट्टी — वित्त
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर — विधि
- जगजीवन राम — श्रम
- सरदार बलदेव सिंह — रक्षा
- राजकुमारी अमृत कौर — स्वास्थ्य
- सी. एच. भाभा — वाणिज्य
- रफी अहमद किदवई — संचार
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी — उद्योग एवं आपूर्ति
- वी. एन. गाडगिल — कार्य, खान एवं उर्जा

Study for civil services

Scanned by CamScanner

2. संविधान का निर्माण

- भारत में संविधान सभा गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम० एन० रॉय ने रेखा।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रुप से संविधान सभा के गठन की मांग की।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरु ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा। नेहरु की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रुप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है।
- क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया।

क्रिप्स मिशन
- सर पैथिक लारेंस (अध्यक्ष)
- ए० वी० अलेक्जेंडर
- सर स्टैफर्ड क्रिप्स

Study for civil Services

भारत की संविधान सभा (389 सदस्य)
- अंग्रेज भारत 292 + 4 चीफ कमिशनरी प्रांत
 - दिल्ली
 - अजमेर-मेवाड
 - कुर्ग
 - बलूचिस्तान
- देशी रियासत (93)

- संविधान सभा के सदस्य मनोनीत व निर्वाचित दोनो थे।

ब्रिटिश भारत की आवंटित सीट
- कांग्रेस (208)
- मुस्लिम लीग (73)
- छोटे व स्वतंत्र सदस्य (15)

- संविधान सभा में महत्मा गांधी उपस्थित नही थे।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई जिसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया। पहली बैठक में 211 सदस्यो ने हिस्सा लिया।

Scanned by CamScanner

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- अस्थायी अध्यक्ष → सच्चिदानन्द सिन्हा
- अध्यक्ष → डा० राजेन्द्र प्रसाद
- उपाध्यक्ष → डा० एच०सी मुखर्जी, वी०टी०कृष्णामचारी

* 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरु ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

* मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता।
* 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
* 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
* 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
* 24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना।

Study for civil Services

* 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशो का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारुप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया।
* 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

* संघ शक्ति समिति — जवाहरलाल नेहरु
* संघीय संविधान समिति — जवाहरलाल नेहरु
* प्रांतीय संविधान समिति — सरदार पटेल
* प्रारुप समिति — डॉ. बी. आर. अंबेडकर
* मौलिक अधिकारो, अल्पसंख्यको एवं जनजातियो तथा बहिष्कृत क्षेत्रो के लिए सलाहकार समिति — सरदार पटेल
* प्रक्रिया नियम समिति — डॉ. राजेंद्र प्रसाद
* राज्यो के लिए समिति — जवाहरलाल नेहरु
* संचालन समिति — डॉ. राजेंद्र प्रसाद

Scanned by CamScanner

प्रारूप समिति

- अंबेडकर (अध्यक्ष)
- एन गोपालस्वामी आयंगार
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- डॉ. के.एम मुंशी
- सैयद मोहम्मद सादुल्ला
- एन. माधव राव (बी. एल. मित्र की जगह)
- टी. टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)

- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया गया। इस बार संविधान पहली बार पढा गया।
- संविधान सभा के 299 सदस्यो मे से 284 लोगो ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- 26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसुचियां थी।

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

- हिन्दू (163)
- मुस्लिम (80)
- अनुसूचित जाति (31)
- भारतीय ईसाई (6)
- पिछडी जनजातियां (6)
- सिख (4)
- एंग्लो-इंडियन (3)
- पारसी (3)

Study for civil Services

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

- मद्रास (49)
- बॉम्बे (21)
- पश्चिम बंगाल (19)
- संयुक्त प्रांत (55)
- पूर्वी पंजाब (12)
- बिहार (36)
- मध्य प्रांत एवं बरार (17)
- असम (8)
- उड़ीसा (9)
- दिल्ली (1)

- संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया।
- सर बी॰ एन॰ राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

संविधान निर्माण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति

- एच. बी.आर अय्यंगर (सचिव)
- एस.एन मुखर्जी (चीफ ड्राफ्टमैन)
- प्रेम बिहारी नारायण (सुलेखाक)
- नंदलाल बोस और विज्हर (मूल संस्करण का सजावट और सौन्दर्यीकरण)

Scanned by CamScanner

3. संविधान की प्रमुख विशेषताएं

(1) सबसे लम्बा लिखित संविधान

- मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी वर्तमान में 365 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां है।

- संविधान
 - लिखित (अमेरिका)
 - अलिखित (ब्रिटेन)

संविधान के विस्तृत होने का कारण

- भौगोलिक विस्तार व विविधता
- ऐतिहासिक (1935 अधिनियम)
- जम्मू कश्मीर का अलग संविधान
- संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञो का प्रभुत्व

Study for civil Services

(2) विभिन्न स्त्रोतो से विहित

- ढाचागत हिस्सा (1935 अधिनियम से)
- संविधान का दार्शनिक भाग
 - मौलिक अधिकार (अमेरिका)
 - DPSP (आयरलैण्ड से)
- राजनैतिक भाग

(3.) नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय

- नम्य (ब्रिटेन)
- नम्य + अनम्य (भारत)
- अनम्य (अमेरिका)

(4.) एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था।

- भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है।
- भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है।
- भारतीय संविधान में कही भी संघीय शब्द का प्रयोग नही किया गया है।
- भारत का उल्लेख 'राज्यो का संघ' के रूप में किया गया है।

Scanned by CamScanner

(5) सरकार का संसदीय रुप

- भारत में संसदीय प्रणाली लागू है। जो ब्रिटेन से ली गई है।
- अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है।

(6) संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय

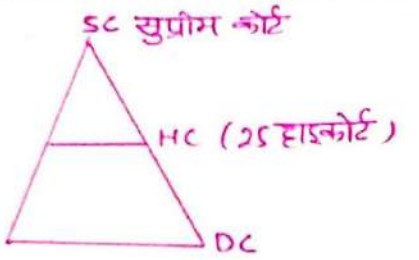
(इंग्लैण्ड में) (अमेरिका में)

- अमेरिका में 'विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है' जबकि भारतीय संविधान में "विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का प्रावधान है"

Study for civil services

(7) एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका

- भारत की न्यायपालिका एकीकृत एवं स्वतंत्र है।



(8) मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार
- समानता का अधिकार (Art - 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Art 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art 23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Art 25-28)
- सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार (Art 29-30)
- संवैधानिक उपचारो का अधिकार (Art 32)

- अनुच्छेद 20, व 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपात काल में स्थगित हो जाते हैं।

Scanned by CamScanner

(9) राज्य के नीति निदेशक तत्व

- यह तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
 - सामाजिक
 - गांधीवादी
 - उदार बौद्धिक
- उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना
- मिनरवा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारो, नीति निदेशक सिद्धान्तो के संतुलन पर रखी गई है।

(10) मौलिक कर्तव्य

- मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यो का उल्लेख नही है।
- स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिस पर 1976 के 42 वें संशोधन में जोडा गया।
- 11 वां कर्तव्य 86 वें संशोधन 2002 में जोडा गया।

Study for civil services

(11) एक धर्मनिरपेक्ष राज्य

- भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है।
- प्रस्तावना में यह शब्द 42 वें संशोधन 1976 में जोडा गया।

(12) सार्वभौम वयस्क मताधिकार

- 1989 में 61 वें संविधान संशोधन में 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई।

(13) एकल नागरिकता

- भारतीय संविधान फ्रेडरल है और दो लक्षणो (एकल व संघीय) का प्रतिनिधित्व करता है। मगर इसमें केवल एक नागरिकता का प्राविधान है।
- अमेरिका में दि नागरिकता की व्यवस्था है।

(14) स्वतंत्र निकाय

- EC (निर्वाचन आयोग)
- CAG
- UPSC
- SPSC

Scanned by CamScanner

(15) आपातकालीन प्रबन्ध

- राष्ट्रीय आपात काल (Art-352)
- राज्य में आपातकाल (Art-356 या 65)
- वित्तीय आपातकाल (Art-360)

* आपातकाल के दौरान सत्ता केन्द्र के हाथ में होती है।

(16) त्रिस्तरी सरकार

- केन्द्र
- राज्य
- पंचायत

* भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज व्यवस्था थी।
* 1992 में 73वें, 74वें संविधान संशोधन में तीन स्तरी सरकार का प्रावधान किया

Study for civil Services

Scanned by CamScanner

4. संविधान की प्रस्तावना

- सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में संविधान प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाये गये 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गये।
- एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा।

◉ संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु

" हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
और इसके समस्त नागरिको को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता
सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित
होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को हतद्
द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित
करते हैं।"

Study for civil Services

◉ प्रस्तावना के तत्व

- अधिकार का स्त्रोत भारत की जनता होगी।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है।
- न्याय स्वतंत्रता समता व बन्धुत संविधान के उद्देश्य है।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान लागू हुआ।

◉ प्रस्तावना के मुख्य शब्द

(1) संप्रभुता :-

इसका आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके उपर और कोई शक्ति नही है।

Scanned by CamScanner

(2) समाजवादी

- भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है।
- लोक तांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना।
- भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है।
- उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के आर्थिक नीति 1991 ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया।

(3) धर्मनिरपेक्ष

- भारत देश में सभी धर्म समान है उसेर उन्हे सरकार से समान समर्थन प्राप्त है।

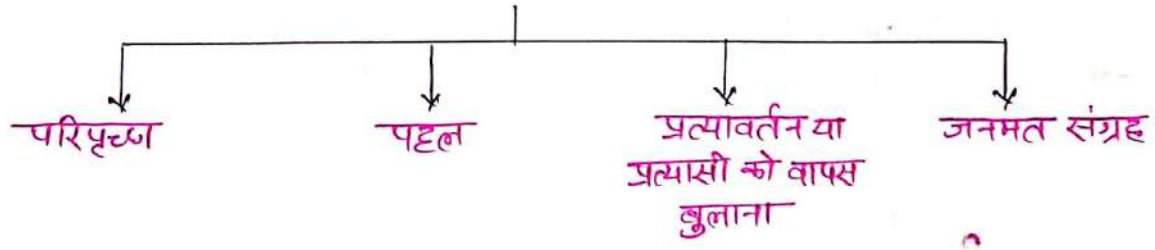
Study for civil Services

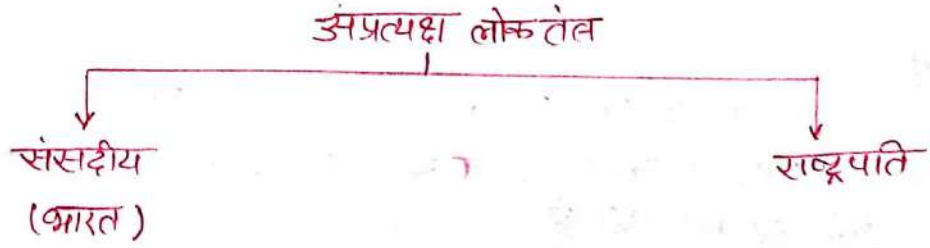
(4) लोकतांत्रिक

- भारतीय संविधान प्रस्तावना में एक लोक तांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई। अर्थात् सवोच्च शाक्ति जनता के हाथ में है।



- प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार





Scanned by CamScanner

* सामाजिक लोकतंत्र में स्वाधीनता, समानता, और भ्रातित्व को मान्यता है।
* 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है' जिससे की प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोक तंत्र में समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो।

(5) गणराज्य

- राजशाही (ब्रिटेन) → राजा या रानी
- गणतंत्र (अमेरिका) → निर्वाचित सदस्य

* भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ 'भारत का प्रमुख' अर्थात् राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है।

Study for civil Services

* गणतंत्र के अर्थ में दो बातें
(i) संप्रभु की सत्ता राजा के हाथ मे न होकर जनता के हाथ में होती है।
(ii) किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति।

(6) न्याय

प्रस्तावना में न्याय तीन रूपो में सम्मिलित है।

- सामाजिक (जाति, रंग, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव)
- आर्थिक (आर्थिक कारणो के आधार पर भेदभाव नहो)
- राजनीतिक (हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार)

* सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तत्व 1917 के रुसी क्रान्ति से लिया गया है।

(7) समता

समाज के किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का प्रबन्ध।

* समता के तीन आयाम शामिल है

- नागरिक
- राजनीतिक
- आर्थिक

Scanned by CamScanner

(8) स्वतंत्रता

- प्रस्तावना में 'स्वतंत्रता' फ्रांस की क्रान्ति से लिया है।
- स्वतंत्रता का अर्थ है- लोगो की गतिविधियो पर किसी प्रकार की रोकटोक की अनुपस्थिति तथा साथ व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना।

(9) बन्धुत्व

- बन्धुत्व का अर्थ भाई चारा की भावना। बन्धुत्व में दो बाते सुनिश्चित है पहली व्यक्ति का सम्मान दूसरा देश की एकता और अखण्डता।

प्रस्तावना का महत्व

- प्रस्तावना उस आधार भूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यो का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है।
- सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा 'संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घ कालिक सपनो का विचार है।'
- के. एम मुंशी ने कहा 'प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है।
- ठाकुर नाथ भार्गव ने कहा 'प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मनित भाग है।'

Study for civil Services

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

- बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नही माना।
- केशवानन्द भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग माना।
- LIC ऑफ इण्डिया मामला 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया।

प्रस्तावना से सम्बन्धित दो उल्लेखनीय बातें -

(i) प्रस्तावना न तो विधायिका के शक्ति का स्रोत है न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाला।

(ii) यह गैर न्यायिक है।

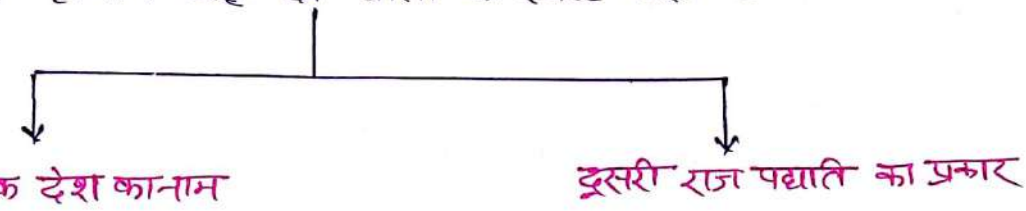
प्रस्तावना में संशोधन की संभावना

- प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के तहत 1973 में संशोधन किया गया।

Scanned by CamScanner

5. संघ एवं इसका क्षेत्र

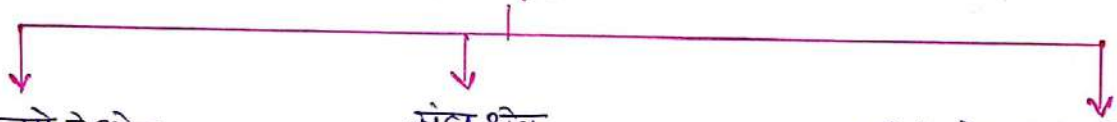
- Art-1 में कहा गया इण्डिया यानी भारत बनाम राज्यो के समूह के 'राज्यो का संघ' होगा। यह दो बातो को स्पष्ट करता है।



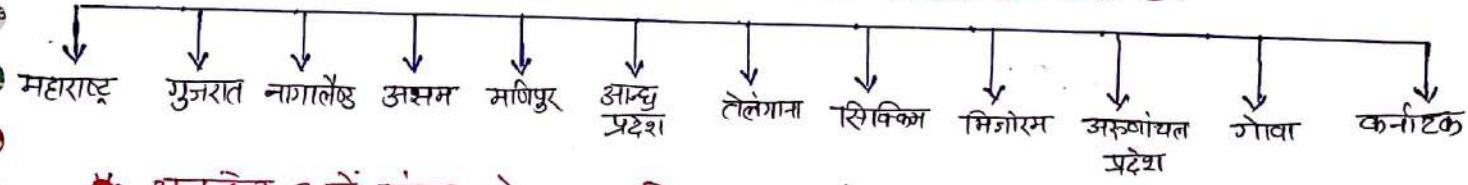
- अंबेडकर के अनुशार राज्यो का संघ को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है।
 (i) भारतीय संघ राज्यो के बीच में कोई समझौता का परिणाम नही है। जैसे अमेरिकी संघ।
 (ii) राज्यो को संघ से विभक्त होने का अधिकार नही है।

Study for civil Services

भारतीय क्षेत्र



- भाग 21 के अन्तर्गत कुछ राज्यो के लिए विशेष उपबन्ध है।



- अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गयी है कि सदन, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनो और शर्तो पर जो ठीक समझे, संघ में नये राज्यो का प्रवेश या स्थापना कर सके।

- Art-3 संसद के पास शक्ति है राज्यो के सीमाओ में परिवर्तन करना या नये राज्य का निर्माण करना।
- Art-3 में दो शर्तो का उल्लेख किया गया है। राज्यो के पुनर्गठन संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति इस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधान मंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति विधान मंडल के मत को बाध्य नही है। मानने के लिए।

Scanned by CamScanner

* संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है परन्तु राज्य सरकार संघ को समाप्त नही कर सकती।

* अमेरिका को 'अविभाज्य राज्यो का अविभाज्य संघ कहा जाता है।

* Art-4 इसमें नये राज्यो का प्रवेश या गठन, नये राज्यो का निर्माण, सीमा क्षेत्रो व नामो में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नही माना जायेगा।

Study for civil Services

क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर (Art-3 के अन्तर्गत) भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया, जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केन्द्र सरकार का निर्णय की बेरुबाड़ी संघ (पश्चिम बंगाल) पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिसकारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा की संसद की शक्तियों राज्यो की सीमा समाप्त करने और (अनुच्छेद 3 अन्तर्गत) भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नही है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम (1960) के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया।

* 100वां संविधान संशोधन 2015 के अनुसार भारत ने बांग्लादेश को 111 विदेशी अन्तः क्षेत्र दिया व बांग्लादेश ने भारत को 51 अन्तः क्षेत्र को दिया

◉ केंद्रशासित प्रदेशो एवं राज्यो का उद्भव

देशी रियासतो का एकीकरण

* देशी रियासतो को तीन विकल्प दिये।
 (i) भारत में सामिल
 (ii) पाकिस्तान में सामिल
 (iii) या स्वतंत्र रहे।

* 549 रियासतो भारत में सामिल हुई। बची तीन रियासते अन्य प्रकिया से सम्मिलित हुई।

तीन रियासत

- हैदराबाद (पुलिस कार्वाही द्वारा)
- जूनागढ (जनमत द्वारा)
- कश्मीर (विलय पत्र द्वारा)

Scanned by CamScanner

1950 में भारतीय संघ के राज्य के प्रकार

- भाग क (गवर्नर का शासन)
- भाग ख (शाही शासन)
- भाग ग (मुख्य आयुक्त एवं कुछ में शाही)
- भाग घ अण्डमान निकोबार

धर आयोग और जेवीपी समिति

- जून 1948 में भारत सरकार ने एस. के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रान्त आयोग की नियुक्ति की।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1948 में पेश की।
- इसके अनुसार राज्यो का पुनर्गठन भाषायी कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए।
- जेवीपी समिति में नेहरु, पटेल, पट्टाभिसीतारमैया शामिल थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। इस बात को औपचारिक रुप से अस्वीकार किया कि राज्यो का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होनी चाहिए।
- 56 दिन की भूख हडताल के बाद कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया

फजल अली आयोग (दिसम्बर 1953)

- फजल अली (अध्यक्ष)
- के. एम पणिक्कर
- एच. एन कुंजरु

Study for Civil Services

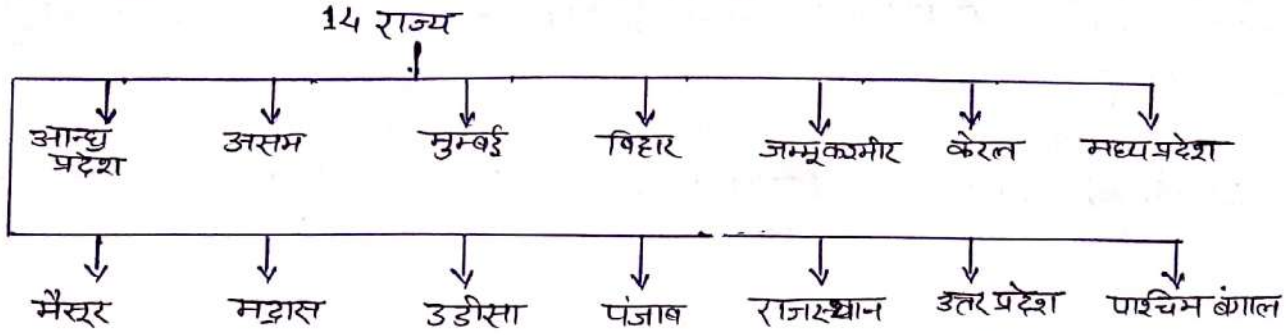
- इस आयोग ने रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रुप से स्वीकार किया गया की राज्य का पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार कर दिया।

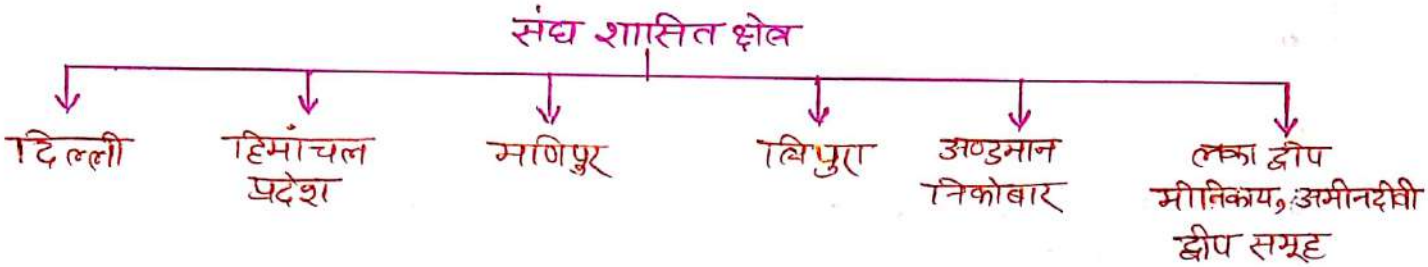
समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए चार बडे कारको की पहचान की।

(i) देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण
(ii) भाषायी एवं सांस्कृतिक एक रुपता
(iii) वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिकतर्क
(iv) प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगो के कल्याण योजना एवं इनका संवर्धन

- 1 नवम्बर 1956 को 14 राज्यो और 6 केन्द्र शासित प्रदेशो का गठन किया गया।

Scanned by CamScanner





- 2 जून 2014 में आन्ध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना।
- भाषा के आधार पर आन्ध्र प्रदेश पहला राज्य बना।
- भाषा तेलगू, राजधानी कुरनूल, गुंटूर में हाईकोर्ट स्थापित हुआ।
- 2014 से भारत में 29 राज्य सात केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

Study for civil Services

Scanned by CamScanner

6. नागरिकता

● अर्थ एवं महत्व

भारत में दो तरह के लोग रहते हैं।

- नागरिक → (भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य, राजनैतिक अधिकार प्राप्त)
- विदेशी → ये अन्य राज्य के नागरिक होते हैं।

विदेशी

- मित्र (रूस) → (भारत के साथ सकारात्मक संबंध)
- शत्रु (पाक) → (जिनसे भारत का युद्ध चल रहा हो)

Study for Civil Services

✸ विदेशी गिरफ्तारी व नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते (Art.-22)

● भारतीय नागरिको को प्राप्त विशेषाधिकार जो विदेशियो को प्राप्त नहीं –

1. – धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (Art-15)
2. – लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार (Art-16)
3. – वक् स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता (Art-19)
4. – संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Art-29 व 30)।
5. – लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार।
6. – संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
7. – सार्वजनिक पदों, जैसे – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीश, राज्यो के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार।

● संवैधानिक उपबन्ध

✸ संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2015 में संशोधन किया गया।

✸ संविधान के अनुसार चार श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने –

Scanned by CamScanner

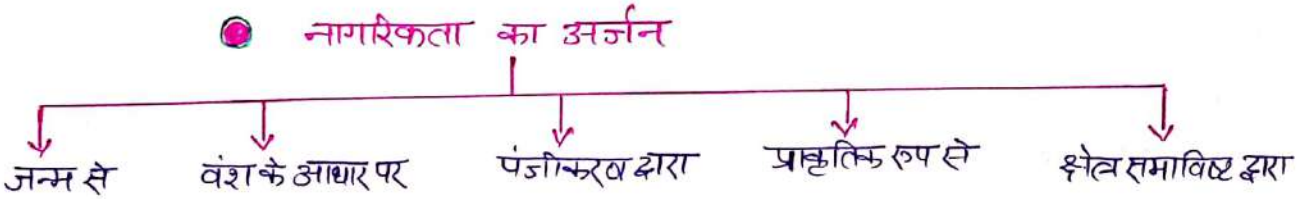
1. एक व्यक्ति, जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं – यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता-पिता में से किसी भी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू हो के पांच वर्ष पूर्व से भारत मे रह रहा हो।

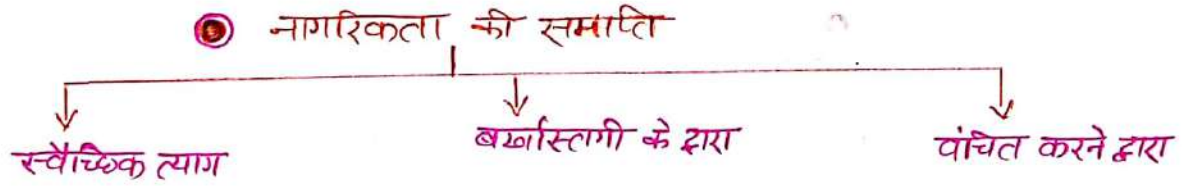
2. एक व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है – यदि वह 19 जुलाई, 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने समान्यत: भारत में निवास किया हो; और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए छ: माह तक भारत में निवास आवश्यक है। (Art – 6)

3. एक व्यक्ति, जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आये तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना-पत्र के बाद छह माह तक रहना होगा (Art – 7)

Study for civil Services

4. एक व्यक्ति, जिसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कूटनीतिज्ञ तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिका ग्रहण कर सके (Art – 8)





स्वैच्छिक त्याग :- एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण उम्र और क्षमता का हो। ऐसी घोषणा के उपरान्त वह भारत का नागरिक नही रहता। अपनी नागरिकता त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केन्द्र सरकार इसके पंजीकरण को एकतरफ रख सकती है। व्यक्ति के साथ प्रत्येक नाबालिक बच्चा भी भारतीय नागरिक नही रहता यद्यपि इस तरह के बच्चे को 18 उम्र 18 वर्ष होने पर भारतीय नागरिक बन सकता है।

Scanned by CamScanner

बर्खास्तगी के द्वारा :- यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जायेगी। हलांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो।

वंचित करने द्वारा :- केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि :

(i) यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गयी हो।
(ii) यदि नागरिक ने के प्रति अनादर जताया हो।
(iii) यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर-कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो।
(iv) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।
(v) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

एकल नागरिकता

Study for civil Services

- भारत में एकल नागरिकता है।
- भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है।

- लगातार ५ साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय संसद है।

Scanned by CamScanner

7. मूल अधिकार

संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारो का विवरण है। संविधान में भाग 3 को 'भारत का मैगनाकार्टा' कहा गया है।

- मूल अधिकारो का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति से है।
- मूल अधिकारो के प्रावधानो का उल्लेख कानून की सरकार बनाना है न कि व्यक्तियो को।
- मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक) के लिए आवश्यक है।

◉ मूल संविधान में मूल अधिकार सात प्रदान किये गये

1. समता का अधिकार (Art 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Art 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art 23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Art 25-28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Art 29-30)
6. संपति का अधिकार (Art 31)
7. संवैधानिक उपचारो का अधिकार (Art 32)

Study for civil Services

◉ मूल अधिकार की विशेषताएँ

(i) मूल अधिकार नागरिको के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ अधिकार विदेशी लोगो के लिए भी हैं।

(ii) ये असीमित नही है लेकिन वाद योग्य होते है।

(iii) कुछ मामलो को छोड़कर इनमे से ज्यादा अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है।

(iv) इनमे से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले तथा कुछ सकारात्मक विशेषता वाले होते हैं।

(v) ये न्यायोचित है ये व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देते है।

(vi) इन्हे उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(vii) ये स्थायी नही है। संसद इनमें कटौती कर सकती है। लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न की साधारण विधेयक द्वारा।

(viii) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (Art 20 व 21) को छोड़कर इन्हे निलम्बित किया जा सकता है।

(ix) Art 31 क द्वारा इनकी कार्यान्वयन की सीमाएं है।

(x) सशस्त्र बलो, अर्ध सैनिक बलो, पुलिस बलो गुप्तचर संस्थाओ और ऐसी ही सेवाओ से संबंधित सेवाओ के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबन्ध आरोपित कर सकती है (Art - 33)

Scanned by CamScanner

(xi) ऐसे इलाको में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता जा सकता है जहाँ फौजी कानून प्रभावी हो।

(xii) इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं जबकि कुछ को कानूनी मदद से प्रभावी बनाया जाता हैं।

राज्य की परिभाषा

मूल अधिकारो से संबंधित विभिन्न उपबन्धों में 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे Art 12 में भाग III के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया हैं। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

(अ) कार्यकारी एवं विधायी अंगो को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद।

(ब) राज्य सरकार के विधायी अंगो को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल।

(स) सभी स्थानीय निकाय अर्थात् नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।

(द) अन्य सभी निकाय अर्थात् वैधानिक या गैर-संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे-एलआईसी, ओएनजीसी, सेल आदि।

Study for civil Services

मूल अधिकारो से असंगत विधियां

* मूल अधिकारो का हनन होने पर व्यक्ति Art-32 के तहत सुप्रीमकोर्ट और Art-226 के तहत हाइकोर्ट जा सकता हैं।

समानता का अधिकार

विधि के समक्ष समता और विधियो का समान संरक्षण

↓ ब्रिटिश

↓ अमेरिका

* Art-14 के अनुसार राज्य भारत क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियो के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा। चाहे वो नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है।

विधि का शासन

न्यायवादी ए.वी. डायसी का मानना है कि 'विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धान्त का मूल तत्व हैं।

* इन्होंने तीन अवधारणाएं प्रस्तुत की।

(i) इच्छ शक्तियों की अनुपस्थिति

(ii) विधि के समक्ष समता आवश्यक

(iii) व्यक्तिगत अधिकारो की प्रमुखता

Scanned by CamScanner

समता के अपवाद

1. भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालो को निम्न शक्तियां प्राप्त है (Art 361 के अन्तर्गत)

(i) राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किये गये किसी कार्य या लिए गये किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नही होंगे।

(ii) राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नही रखी जाएगी।

(iii) राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नही की जा सकती।

(iv) राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यालय के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किये गये किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नही चलाया जाता है। तो उन्हे इसकी सूचना देने के दो माह के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

2. कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधान सभा के दोनो सदनो या दोनो सदनो में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय-वस्तु का प्रकाशन समाचार-पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा, देश के किसी भी न्यायालय में नही चलाया जा सकेगा। (Art 361-क)

Study for Civil Services

3. संसद में या इसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी किसी बात या दिये गये किसी मत के संबंध में इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की जाएगी (Art 105)

4. राज्य के विधान मंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिये गये किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नही की जायेगी। (Art 194)

5. Art-31 ग, Art-14 का अपवाद है इसके अनुसार, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निदेशक तत्वो के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा (ख) या उपधारा (ग) का समावेश है तो उसे आधार पर चुनौती नही दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि 'जहां Art 31-ग आता है, वहां से अनुच्छेद-14 चला जाता है'।

6. विदेशी संप्रभु (शासक), राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमो से मुक्त होंगे।

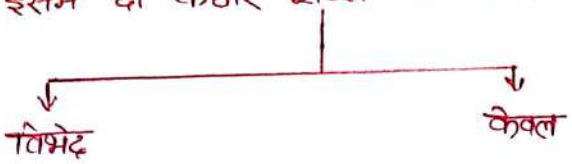
7. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेन्सियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है।

Scanned by CamScanner

2. कुछ आधारो पर विभेद का प्रतिषेध :-

* Art-15 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के प्रति केवल धर्म मूल, वंश, जाति, या लिंग जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा।

* इसमे दो कठोर शब्दो की व्यवस्था है।



* विभेद से प्रतिषेध के निम्न अपवाद हैं।

(अ) राज्य बच्चो एवं महिलाओ के लिए विशेष व्यवस्था करे।

(ब) राज्य समाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछडे वर्गो या पिछडी जाति, जनजाति के लिए विशेष उपबंध करे।

(स) राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रुप से पिछडे लोगो या अनुसुचित या जनजाति के लोगो के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है।

(द) अन्तिम प्रावधान को संविधान के 93वें संशोधन 2005 के द्वारा सम्मलित किया गया।

(ध) इसके अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थाओ में OBC के लिए 27 सीटें आरक्षित की गई।

Study for civil Services

◎ क्रीमीलेयर

पिछडे वर्ग के विभिन्न तबको के वाल क्रीमीलेयर में आते हैं, जिन्हे इस आरक्षण का लाभ नही मिलेगा। ये तबकें हैं:

(1) संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयो के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक आदि।

(2) वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास II अधिकारी, जो कि केन्द्रीय या राज्य सेवाओ में हैं। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानो, बैंको, बीमा कंपनियो, विश्वविद्यालयो आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियो में कार्यरत अधिकारियो पर भी लागू होता है।

Scanned by CamScanner

(3) सेना में कर्नल या उससे उपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्ध-सैनिक बलो में समान रैंक का अधिकारी ।

(4) डाक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर ।

(5) व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति ।

(6) शहरी क्षेत्रो में जिन लोगो के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले ।

(7) जिन लोगो की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक संपति है। 1993 में जबकि 'मलाईदार परत' हदबंदी लागू की गई, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 6 लाख रुपये 2013 में किया गया ।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता ।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में तीन अपवाद है।

Study For civil Services

(i) संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। इसके उदाहरण तेलंगाना व आंध्र प्रदेश है।

(ii) राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। या किसी पद को पिछडे वर्ग के पक्ष में बना सकता है। जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नही है।

(iii) विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है।

मंडलायुक्त

मण्डल आयोग और उसके परिणाम

वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछडा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में किया गया । आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश किया और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछडी थी। जनसंख्या में इनका प्रतिशत हिस्सा 52% था जिसमे अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नही थी। आयोग ने पिछडे वर्गो के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की ।

Scanned by CamScanner

- प्रसिद्ध मंडल केस (1992) में, Art-16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गयी उसका परिक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया।
- कुल आरक्षण कोटा 50% से अधिक नही होना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नही होना चाहिए।
- अन्य पिछड़े वर्गो के क्रीमीलेयर से संबंधित लोगो को आरक्षण की सुविधा नही मिलेगी।
- अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में अति जोड़ व निम्न जोड़ के परिक्षण के लिए एक स्थायी गैर-विधायी इकाई होनी चाहिए।

◉ उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए:

(i) क्रीमीलेयर की पहचान के लिए रामनन्दन समिति का गठन किया इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

Study for civil Services

(ii) संसद ने पिछड़े वर्गो के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया।

(iii) प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के लिए 77 वां संशोधन 1995 में पास किया गया जो Art-16 में जोड़ा गया।

(iv) 76वें संशोधन 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994, 9वीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया।

◉अस्पृश्यता का अंत

Art-17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था है। और इसका किसी भी रूप आचरण निषिद्ध करता है। इसका नया नाम 'नागरिक अधिकारो की रक्षा अधिनियम 1955' के तहत अस्पृश्यता को दण्डनीय बनाया गया। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रु० का दण्ड अथवा दोनो शामिल है।

◉ यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है।

(क) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थलो में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना।

(ख) परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर 'अस्पृश्यता' को न्यायोचित ठहराना।

(ग) किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से रोकना।

(घ) 'अस्पृश्यता' के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जती करना

(ङ) अस्पतालो, शैक्षणिक संस्थानो या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना

(च) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना।

(छ) किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना।

Scanned by CamScanner

उपाधियों का अंत

Art-18 उपाधियो का अन्त करता है इसमे प्रावधान है।

(i) राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान, के सिवाए और कोई उपाधि प्रदान नही करेगा।

(ii) भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नही करेगा।

(iii) कोई विदेशी, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के लिए पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नही करेगा।

(iv) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई पद किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नही करेगा।

* पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण की स्थापना 1954 में हुई।

स्वतंत्रता का अधिकार

1. छह अधिकारो की रक्षा :- Study for civil Services

Art-19 सभी नागरिको को छह अधिकारो की गारंटी देता है।

(i) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

(ii) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार।

(iii) संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार।

(iv) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार।

(v) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार।

(vi) कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छपे मामलो पर स्वतंत्रता देता है।

* राज्य वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा सकता है। यह प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार राज्य की सुरक्षा सार्वजनिक आदेश, न्यायालय की अवमानना आदि इसका आधार हो सकता है।

Scanned by CamScanner

शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता

किसी भी नागरिक को बिना हथियार के नागरिको को संगठित होने का अधिकार इसमे शामिल है। सार्वजनिक बैठको एवं प्रदर्शन का अधिकार।

- राज्य संगठित होनेपर दो आधारो पर प्रतिबंध लगा सकता है।
 - भारत की एकता अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश।
 - सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण।

- धारा 144 के तहत संगठित बैठक को रोका जा सकता है। धारा 144 के तहत 5 या उससे अधिक लोगो का संगठन गैर-कानूनी हो सकता है।

संगम या संघ बनाने का अधिकार

सभी नागरिको को सभा संघ अथवा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होगा। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका आधार भारत की एकता संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एव नैतिक है।

- उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि श्रम संगठनो को मोलभाव व हडताल करने, एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नही है।

अबाध संचरण की स्वतंत्रता

Study for civil services

इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार है।

स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध के दो कारण है।
- आम लोगो का हित
- किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित

संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग है।
- आन्तरिक (देश में निर्बाध संचरण)
- वाह्य (देश के बाहर घुमने का अधिकार)

Scanned by CamScanner

● निवास का अधिकार

हर नागरिक देश के किसी हिस्से में निवास कर सकता है इसके अधिकार के दो भाग मे है।

- देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार
- देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार

राज्य इस अधिकार पर दो आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है।

- विशेष रुप से आम लोगो के हित में
- अनुसूचित जनजाति के लिए।

● व्यवसाय की स्वतंत्रता

सभी नागरिक को किसी भी व्यवसाय को करने पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरु करने का अधिकार है।

✸ राज्य इस पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा सकता है।

(अ) किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरुरी ठहरा सकता है।

(ब) किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रुप से स्वयं जारी रख सकता है।

Study for civil Services

✸ इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नही है, जैसे मिलावटो व बच्चो का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय। इन पर राज्य पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा सकता है।

2. अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण—

Art-20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कम्पनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दण्ड से संरक्षण प्रदान करता है।

● इस संबंध में तीन व्यवस्थाएं हैं।

(अ) कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नही : कोई व्यक्ति (i) किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नही ठहराया जायेगा, जबतक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रुप में आरोपित है, किसी प्रवृत विधि का अतिक्रमण नही किया है, या (ii) उससे अधिक शक्ति का भागी नही होगा, जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकता थी।

Scanned by CamScanner

(ब) दोहरी क्षति नहीं : किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।

(स) स्व-अभिशंसन नहीं : किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

3. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता

Art-21 में घोषणा की गयी किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

* प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने Art-21 की सूक्ष्म व्याख्या की। लेकिन मेनका मामले में (1978) Art-21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी है। की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सके।

4. शिक्षा का अधिकार

Study for civil Services

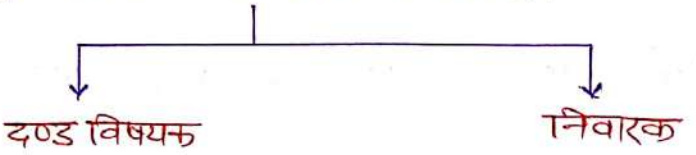
Art-21 में घोषणा कीगई है राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चो को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये। यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अन्तर्गत है। नाकि व्यावसायिक या उच्च शिक्षा के अन्तर्गत है। (86 वें संशोधन 2002)

* Art 51(क) में प्रत्येक नागरिक यह कर्तव्य होगा की 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चो को शिक्षा प्रदान कराएगा।

5. निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण

Art-22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।

* हिरासत दो तरह के होते है।



* Art-22 के दो भाग है।



Scanned by CamScanner

✸ Art-22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है।

(i) गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार।

(ii) विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार

(iii) दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख 24 घंटे में, यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार

(iv) दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिये 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार।

✸ Art-22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। जिन्हे दण्ड कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनो उपलब्ध है। इसमें शामिल हैं —

(i) व्यक्ति की हिरासत तीन माह से ज्यादा नही बढ़ायी जा सकती, जब तक की सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताएं। बोर्ड में उच्च न्यायालयो के न्यायाधीश होंगे।

(ii) निरोध के आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितो के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नही है।

(iii) निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे।

Study for civil Services

शोषण के विरुद्ध अधिकार

1. मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध —

✸ Art-23 मानव दुर्व्यापार, बेगार (बलात् श्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारो पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार नागरिक वे गैर नागरिक दोनो पर लागू होता है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है।

'मानव दुर्व्यापार' शब्द में शामिल हैं—(i) पुरुष, महिला एवं बच्चो की के समान खरीद-बिक्री, (ii) महिलाओ और बच्चो का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। (iii) देवदसी और (iv) दास। इस तरह के कृत्यो पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 बनाया है।

✸ इस संबंध में बधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976; न्यनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाएं।

Scanned by CamScanner

2. ● कारखानो आदि में बालको के नियोजन का निषेध

Art-24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यो में नियोजन का प्रतिषेध नही करता है।

✸ बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बागान श्रम अधिनियम 1951, बीडी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 व अन्य अधिनियम निश्चित आयु के कम बालको को नियोजन के प्रति निषेध करता है।

✸ 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया। इसमें बच्चो की शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण के सुधार के लिए निर्देश दिये।

✸ बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 बालको के अधिकारो के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की स्थापना और बालको के विरुद्ध अपराधो अथवा बालक अधिकारो के उलंघन पर शीघ्र विचारण के लिए आधिनियमित किया गया।

● 2006 में सरकार ने बच्चो के घरेलू नौकर के रूप में काम करने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानो पर नियोजन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को नियोजित करने वालो के विरुद्ध अभियोजन और दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

Study for civil Services

● बाल श्रम संशोधन (2016)

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को संशोधित कर दिया। इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कर दिया है।

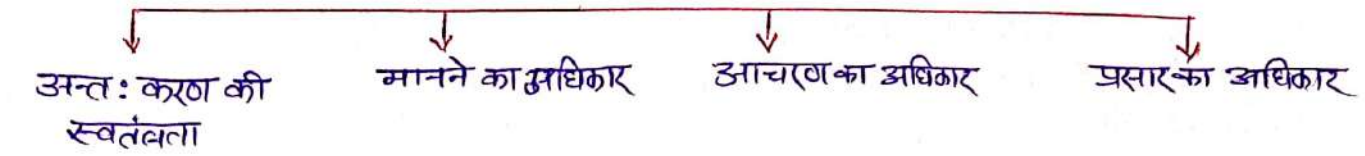
✸ संशोधन अधिनियम ने उल्लंघन करने वालो को कडे दण्ड का प्रावधान है। 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद अथवा 20000 से 50000 रु० तक का जुर्माना/अपराध दोहराए जाने पर कैद की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष की होगी।

● धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

Art-25 के अनुसार सभी व्यक्तियो को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध्य रूप से मानने का आचरण करने का समान से अधिकार है।

Scanned by CamScanner

✸ इसके प्रभाव हैं



2. ✸ धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

Art-26 के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे।

(i) धार्मिक एवं पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार;

(ii) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार;

(iii) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार और;

(iv) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।

✸ धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता।

✸ Art-27 में किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाय।

● धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता

Art-28 के अन्तर्गत राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाय। हलांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन इसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हो।

Study for civil Services

✸ Art 28 चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है।

(i) ऐसे संस्थान, जिनका पूरी तरह रख-रखाव राज्य करता है।

(ii) ऐसे संस्थान, जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो।

(iii) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।

(iv) ऐसे संस्थान, जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों।

● संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

Art-19 यह उपबंध कराता है। की भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है इसके अतिरिक्त, किसी भी नागरिक को राज्य के अन्तर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।

Scanned by CamScanner

✸ Art-29 धार्मिक, अल्पसंख्यको, एवं भाषायी अल्पसंख्यको को सुरक्षा प्रदान करता है।

2. शिक्षा संस्थानो की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

Art-30 अल्पसंख्यको, चाहे धार्मिक या भाषायी, को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है।

(i) सभी अल्पसंख्यको वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओ की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(ii) राज्य द्वारा अल्पसंख्यको को शिक्षा संस्था की किसी संपति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत नही होंगे। इस उपबंध 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरसित कर दिया।

(iii) राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यको द्वारा प्रबंधित संस्थानो में विभेद नही करेगा

✸ अल्प संख्यक शिक्षा संस्थाएं तीन प्रकार की होती है।

(i) राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान।

(ii) ऐसे संस्थान, जो राज्य से मान्यता लेते है। लेकिन उन्हे आर्थिक सहायता प्राप्त नही होती

(iii) ऐसे संस्थान, जो राज्य से मान्यता या सहायता नही लेते।

संवैधानिक उपचारो का अधिकार (Art 32)

Study for civil Services

मूल अधिकारो की घोषणा तब तक तर्क हीन है। शक्तिहीन है जबतक कोई प्रभावी मशीनरी उसको लागू करने के लिए न हो।

✸ अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है।

✸ Art-32 में 4 प्रावधान है।

(क) — मूल अधिकारो को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है।

(ख) — उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा।

(ग) — संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियो के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होनी चाहिए यहां कोई अन्य उच्च न्यायालय सहित शामिल नही है। Art-226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित है।

Scanned by CamScanner

घ — उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाएं निलंबित नहीं किया जायेगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल (Art-359) के तहत इनको स्थगित कर सकता है।

✸ Art-32 का उद्देश्य मूल अधिकारों हेतु गारन्टी, प्रभावी, और सुलभ संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है।

रिट के प्रकार (5)

- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा

Study for civil Services

बंदी प्रत्यक्षीकरण

अर्थ → (प्रस्तुत किया जाय)

यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है, जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाय। तब न्यायालय मामले की जांच करता है, यदि हिरासत में लिए गये व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है।

✸ यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब —

(i) हिरासत कानून सम्मत है।
(ii) कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो।
(iii) न्यायालय द्वारा हिरासत।
(iv) हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो।

परमादेश

अर्थ → 'हम आदेश देते हैं'।)

यह रोक नियंत्रण है, जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों (सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों या सरकार के खिलाफ) जारी किया जाता है ताकि उनसे कार्यों और नकारने के संबंध में पूछा जा सके।

✸ परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता —

(i) निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध
(ii) गैर-संवैधानिक विभाग
(iii) जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं।
(iv) संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध
(v) राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध
(vi) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध

Scanned by CamScanner

● प्रतिषेध
↓
अर्थ → (रोकना)

इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयो को या अभिकरणो को अपने से उच्च न्यायिक कार्यो को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिशेध सीधे सक्रिय नही रहता है।

✱ प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणो के विरुद्ध ही जारी किये जा सकते है।

● उत्प्रेषण
↓
अर्थ → (प्रमाणित होना या सूचना देना)

इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयो को या अधिकरणो को या लंबित मामलो के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी किया जाता है इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून की खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है; उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनो तरह का है।

✱ पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणो के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था। प्रशासनिक इकाईयो के खिलाफ नही। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियो के अधिकारो को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणो के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है।

● अधिकार पृच्छा
↓
अर्थ (प्राधिकृत या वारंट के द्वारा)

Study for civil Services

✱ इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दावर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है।

✱ इसे मंत्रिय कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नही किया जा सकता।

✱ अन्य चार रिटो से हटकर इसे भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है। न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।

✱ इन रिटो को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। जहाँ इन्हे विशेषाधिकार रिट कहा गया है। इन्हे राजा द्वारा जारी किया जाता था। जिन्हे अब भी न्याय का झरना कहा जाता है।

Scanned by CamScanner